Minimum Wages for road construction work etc.; and

(c) whether Government propose to appoint a National High Powered Evaluation Committee to assess the working of Employment Guarantee Scheme to consider pros and cons for its introduction in other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) According to the information furnished by the Maharashtra Government, District Employment Guarantee Committee in every district and a Panchayat Samiti Employment Guarantee Committee in every Panchayat Samiti area has been constituted under the provisions of the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Act No. XX of 1978) which came into effect from January 1979. Besides, Maharashtra Employment Guarantee Council has also been constituted at the State level under the provisions of the Act for periodical review and supervision of the implementation of the Act. In addition, there is one Employment Guarantee Scheme (EGS) committee appointed by legislature for inspecting and evaluating EGS work and to point out shortcomings in implementation of EGS and suggest remedies thereon.

(b) The Committees at the District and Samiti level do not give any report on misdirection and misuse of Employment Guarantee Scheme (EGS) or on malpractices in payment of wages to labourers. However, the members of these committees in their individual capacity, members of public as well as labourers and their organisations and State level committees report malpractices on employment guarantee scheme work to Government from time to time and Government take action on these complaints.

(c) No, Sir.

2717. [*Transferred to the 4th September*, 1990].

ESI Health Benefits

2718 SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the percentage of the total labour force in India including those in small, rural and unorganised sectors covered by the ESI health benefits; and

(b) what steps are being contemplated to extend these benefiets to those not yet covered?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) About 2.64 per cent.

(b) The ESI Scheme is already being extended in a phased manner, to new areas/sectors of employment depending on the concentration of coverable employees, for whom viable medical arrangement can be made by the State Governments.

भारतीय खाद्य निगम की पटना स्थित शाखा में अनियमितताएं

2719. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पटना क्षेत्र के सीनियर मैनेजर ने परिवहन से संबंधित कार्य को अनुचित ढंग से अपने कुछ चहेते ठेकेदारों को दे दिया है और वह उनसे कमीशन भी ले रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रम संघों को खराब बना दिया है जिससे कार्य में अड़चनें आ रही हैं यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परिवहन कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई सभी निविदाओं का ब्यौरा क्या है और उन ठेकेदार

के नाम क्या हैं जिन्हें कार्य सौंपा गया है और निविदा पत्रों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न डिपुओं में विभिन्न दरों पर वैध टेंडरकर्ताओं को 46 परिवहन ठेके दिए गए थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए हैंडलिंग और परिवहन ठेके के विस्तृत ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम सं०	केन्द्र	जिस पार्टी को ठेका दिया गया उसका नाम	दर, जिस पर ठेका दिया गया	प्राप्त हुए टेंडरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भागलपुर	श्री बनारसी साह	201 प्रतिशत एएसओआर	3
2	चांडौटी	श्री पारसनाथ सिन्हा	73 प्रतिशत एएसओआर	5
3	बर शालीगंज	श्री भोल प्रसाद	91 प्रतिशत एएसओआर	4
4	लालगंज	श्री ब्रज किशोर ठाकुर	66 प्रतिशत एएसओआर	5
5	मुजफ्फरपुर काम्प्लैक्स	श्री उमा कांत शर्मा	57 प्रतिशत एएसओआर	5
6	सूरिया	मै० श्रीपति राम प्रसाद लाल	96 प्रतिशत एएसओआर	5
7	जसीदीह	श्री जे० जे० ट्रांसपोर्ट एजेन्सी	119 प्रतिशत एएसओआर	4
8	मुंगेर	श्री नरेश प्रसाद साह	155 प्रतिशत एएसओआर	2
9	डाल्टनगंज	श्री श्याम नारायण प्रसाद	125 प्रतिशत एएसओआर	4
10	छपरा	श्री अब्दुल गफ्फार	45 प्रतिशत एएसओआर	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	सीतामढ़ी/पनौरा	श्री कैलाश प्रसाद	60 प्रतिशत एएसओआर	6
12	जयनगर	श्री अनिरूध झा	एसओआर	7
13	पांडौल	श्री ललित किशोर सिंह	95 प्रतिशत एएसओआर	3
14	साहपुर पटोडी	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर	14 प्रतिशत बीएसओआर	6
15	फोरबेसगंज	श्री मिथलेश कुमार सिंह	115 प्रतिशत एएसओआर	4
16	कुरशेला	मै० नागरमल राम प्रकाश	60 प्रतिशत एएसओआर	2
17	कटिहार	श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट	34.5 प्रतिशत एएसओआर	4
18	राघोपुर	श्री अभिनन्दन प्रसाद	45 प्रतिशत एएसओआर	4
19	हतिया	श्री राम कुमार अग्रवाल	एसओआर	5
20	कोडरमा	श्री बी० एन० चतुर्वेदी	175 प्रतिशत एएसओआर	1
21	जमुई	श्री बच्चन कुमार सिंह	155 प्रतिशत एएसओआर	3
22	सतिसिलवई	श्री राम कुमार अग्रवाल	25 प्रतिशत एएसओआर	3
23	चक्रधरपुर	श्री भगवानदास साऊ	169 प्रतिशत एएसओआर	4
24	हाजीपुर	श्री राज किशोर चौधरी	91 प्रतिशत एएसओआर	8
25	बेगुसराय रोड/टाउन	मै० गोगराज रोंगटा एण्ड संस	81 प्रतिशत एएसओआर	7
26	कोशी कालोनी	श्री कमलेश्वरी प्रसाद राय	40 प्रतिशत एएसओआर	6
27	मोतीपुर	श्री रामगया प्रसाद	47 प्रतिशत एएसओआर	3
28	चनपतिया	चनपतिया लैब० कोआप० सोसायटी	35 प्रतिशत एएसओआर	5

1				2
29	दरभंगा	पंडौल लैब० कोआप० सोसायटी	47 प्रतिशत एएसओआर	7
30	समस्तीपुर	धर्मगंज लैब० कोआप० सोसायटी	75 प्रतिशत एएसओआर	6
31	शिवहर	श्री अम्बुज प्रसाद सिंह	41 प्रतिशत एएसओआर	5
32	चकिया	श्री केदार ओझा	118 प्रतिशत एएसओआर	2
33	बक्सर	श्री बबन सिंह	79 प्रतिशत एएसओआर	8
34	साहेबगंज	श्री एस० के० भरतिया	159 प्रतिशत एएसओआर	3
35	एस०डब्ल्यू०सी० लाखी सराय	श्री देवनन्दन प्रसाद	174 प्रतिशत एएसओआर	2
36	गोपालगंज	मै० सिरसिया लैब० कोआप० सोसायटी	10 प्रतिशत बीएसओआर	38
37	रांची	मै०बी०ई०यू०एम०टी०	195 प्रतिशत एएसओआर	1
38	बांका	मै० पीयूस इन्टरप्राइजेज	75 प्रतिशत एएसओआर	4
39	गुलाबबाग/बेलौरी	श्री नौ त्तम कुमार	89 प्रतिशत एएसओआर	4
40	बगहा लौरिया	श्री बैजू प्रसाद	163 प्रतिशत एएसओआर	5
41	रांची	मै० बी० के० सिंह	143 प्रतिशत एएसओआर	4
42	सूरिया	श्री सत्यदेव प्रसाद	171 प्रतिशत एएसओआर	3
43	दरभंगा	मै० विश्वामित्र श्रमिक सहयोग समिति लि०	137 प्रतिशत एएसओआर	5
44	मागीर	श्री बबन प्रसाद सिंह	126 प्रतिशत एएसओआर	6
45	चकिया	श्री महेन्द्र ओझा	137 प्रतिशत एसओआर	1
46	जमुई	श्री दीपक कुमार सिंह	75 प्रतिशत एएसओआर	5

एसओआर–दरों की अनुसूची

एएसओआर–दरों की अनुसूची से अधिक

बीएसओआर–दरों की अनुसूची से कम